

फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर
नाथूराम, बनाम S.D.O-II
202/2023

6/2/24

6.2.2024

प्राची द्वारा पत्रावली तलबी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली पेश हुई। प्राची मय अधिवक्ता उपरुद्ध, प्राची न मुक्तकिल प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का कथन कर विज्ञो किये जाने का अनुरोध किया है। प्राची की पहचान अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा ने की है। अतः प्राची द्वारा मुक्तकिल प्रार्थना पत्र को विज्ञो किये जाने से मुक्तकिल प्रार्थना को उसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम है।

जिला कलक्टर
जयपुर